महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध एवं उनसे सम्बंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी व पुलिस की भूमिका

उद्देश्य

राजस्थान पुलिस सेवा के अभ्यार्थियों के लिए, एक प्रारम्भिक पाठ्य–सामग्री तैयार की गयी है। इसका उद्देश्य पुलिस बल की सभी इकाइयों में जुड़ने वाले कर्मियों में महिला एवं बाल अपराधों से सम्बंधित कानून एवं इनके अमलीकरण में पुलिस/ प्रशासन की भूमिका के बारे में अवगत कराना है।

पृष्ठभूमि

"स्वयं, किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के विरुद्ध उन्हें किसी प्रकार के मानसिक या शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए जान–बूझकर किये गए शक्ति के प्रयोग" को हिंसा कहते हैं। "जान बूझ कर किया गया कोई भी ऐसा काम जो समाज विरोधी हो या किसी भी प्रकार से समाज द्वारा निर्धारित आचरण का उल्लंघन अथवा जिसके लिए दोषी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता (आई. पी.सी) के अंतर्गत कानून द्वारा निर्धारित दंड दिया जाता हो" ऐसे काम अपराध कहलाते हैं।

उपयुर्क्त परिभाषा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हिंसा और अपराध दोनों एक दूसरे से सीधा संबंध है। ऐसी कोई भी क्रिया–कलाप जिससे किसी व्यक्ति विशेष या समूह, समुदाय की भावनाएं और स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े और व्यवस्थाओं में आवांछित प्रभाव पड़े, वे सभी हिंसा और अपराध के श्रेणी में रखे जायेंगे।

बदलते मौजूदा परिवेश में बच्चों एवं महिलाओं के प्रति अपराध एक आम समस्या बनती जा रही है। कोई भी आंकड़ा उठा कर देख लें, सभी इनके प्रति बढ़ते अपराधों की प्रवृत्ति को ही दर्शाते हैं। आज बच्चों एवं महिलाओं के प्रति अपराध के रोकथाम के लिए आवश्यक है कि समाज का हर एक वर्ग जागरूक हो और उसके उन्मूलन के लिए समुचित प्रयास करे। ये समाज से अपेक्षित है कि हम बच्चों एवं महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों को चिन्हित करें एवं उसके उन्मूलन में सहायक भूमिका अदा करें। जहां तक सरकारी व्यवस्था एवं तंत्र का प्रश्न है, उनके द्वारा अनेक तरह के कानूनी व्यवस्थाओं का प्रावधान किया गया है। इन कानूनों के प्रति जागरूकता एवं इनके प्रभावी क्रियान्वयन में कमी होने की वजह से समाज में ये समस्या और भी विकराल रूप धारण कर रही है। आवश्यकता इस बात की है कि इन कानूनों को आम–जन तक पहुंचाया जाए, ताकि लोग इसका लाभ उठा सकें और बच्चों एवं महिलाओं के प्रति दिन–ब–दिन बढ़ते अपराध को रोक सकें।

अपराध जंगल में लगने वाले आग की तरह है, जिसे समय पर न रोका जाए तो, आने वाले समय में यह विध्वंसकारी रूप धारण कर लेती है और यह समूचे मानव जाति के ऊपर एक

प्रश्नचिन्ह खड़ा कर सकती है ।इसलिए अपेक्षित है कि हम सही समय पर इसके निराकरण की व्यवस्था कायम करें । विषय की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, न ही सिर्फ इसके रोकथाम के लिए विशेष नियम, प्रावधान व कानून, बनाए गए, अपितुः समय समय पर इनमें व्यवहारात्मक संशोधन भी किये गए हैं। परिणामस्वरूप समाज के इस कमजोर तबके को बाल एवं महिला सुलभ उचित और सुरक्षित वातावरण मिल सके।

महिला सम्बंधित अपराध

महिलाओं से सम्बंधित अपराधों की श्रेणी में उनके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, यौन एवं भावनात्मक उत्पीड़न/ शोषण से सम्बंधित अपराध प्रायः भारतीय समाज में देखे जाते हैं। महिलाओं पर होने वाले अपराध चौंकाने वाले हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, प्रति वर्ष महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के लगभग 3 लाख से ज्यादा मामले दर्ज होते हैं, जिनमें छेड़छाड़, मार–पीट, अपहरण, दहेज उत्पीड़न से लेकर बलात्कार एवं मृत्यु तक के मामले शामिल हैं। अक्सर कहा जाता है कि महिलाएं अपनों के बीच सबसे ज्यादा सुरक्षित रहती हैं पर हकीकत ये है की महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित, अपनों के बीच ही होती हैं।आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में ज्यादातर उनके जानकार ही शामिल होते है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2015 के अनुसार, 34 हजार से ज्यादा महिलाएं दुष्कर्म की शिकार हुईं। वहीँ दहेज को लेकर भी महिलाओं के ऊपर होने वाले अपराध के आंकड़े कुछ कम नहीं हैं। भारत में औसतन हर एक घंटे में एक महिला दहेज के कारणों से मौत की शिकार होती है। इसी आंकड़े के अनुसार भारत में लगभग 70 प्रतिशत विवाहित महिलाएं घरेलु हिंसा की शिकार होती हैं। घर के बाहर जाकर काम करने वाली महिलाओं के साथ ऑफिस में होने वाले छेड़छाड़ के मामले भी काफी बढ़े हैं। इसी प्रकार, 2015 में 60 हजार से ज्यादा महिलाएं अपहरण का शिकार हुईं, जिनमें में ज्यादातर महिलाओं का अपहरण जबरदस्ती शादी एवं अनैतिक देह व्यापर के लिए किया गया।

उपुर्युक्त महिला सम्बंधित अपराधों को रोकने, उनसे निपटने तथा उन अपराधों से महिलाओं के संरक्षण के लिए बनाए गए कानून निम्नलिखित हैं:

सर्वप्रथम वर्ष 1950 में, भारतीय संविधान में बच्चों एवं महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान दिया गया। भारतीय संविधान राज्य को यह अधिकार देता है, कि वह स्त्रियों और बालकों के कल्याण के लिए विशेष उपाय कर सकता है।

भारतीय दंड संहिता 1860– भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी)1860 एक व्यापक कानून है जो भारत में आपराधिक कानून के वास्तविक पहलुओं को शामिल करता है। यह भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किये गए अपराधों के बारे में बताता है एवं उनमें से प्रत्येक के लिए सजा और जुर्माना बताता है। भारतीय दंड संहिता पूरे भारत में लागू है।

इस संहिता में महिलाओं को विशेषाधिकार प्राप्त हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 354– स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, धारा 354–ए– यौन उत्पीड़न के लिए सजा, धारा 354–बी– बल पूर्वक या हमले द्वारा किसी स्त्री को नग्न करना या नग्न होने के लिए विवश करना, धारा 354 सी– तांक–झांक करना, धारा 354–डी पीछा करना एवं धारा 509– शब्द, अंगविक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है। इन सभी धाराओं में महिला के होने वाले अपराधों के लिए कठोर कारावास की सजा या जुर्माना या दोनों लगायें जा सकते हैं। इसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा एवं गरिमा को सुरक्षित करना है।

भारतीय दण्ड संहिता संशोधित अधिनियम 2018:– देश में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों (खास कर यौन उत्पीड़न) के लिए सख्त सजा सुनिश्चित करने के लिए देश भर में ये कानून लागू किया गया है। नए कानून में बलात्कार की परिभाषा को व्यापक बनाते हुए इसके लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। बलात्कार के मामले में पीड़ित की मौत हो जाने या उसके स्थायी रूप से मृतप्राय हो जाने की स्थिति में मौत की सजा का प्रावधान भी इस कानून में किया गया है। सामूहिक बलात्कार की स्थिति में दोषियों के लिए धारा 376 डी के तहत सजा की अवधि न्यूनतम 20 वर्ष रखी गयी है, जो आजीवन कारावास तक हो सकती है ? कानून में सहमति से यौन सम्बन्ध बनाने की उम्र 18 साल तय की गयी है। महिलाओं का पीछा करने एवं तांक–झाँक पर कड़े दंड का प्रावधान है। ऐसे मामले में पहली बार में गलती हो सकती है, इसलिए इसे जमानती रखा गया है, लेकिन दूसरी बार ऐसा करने पर इसे गैर जमानती बनाया गया है । तेजाबी हमला करने वालों के लिए 10 वर्ष की सजा का भी कानून में प्रावधान किया गया है। इसमें पीड़ित को आत्मरक्षा का अधिकार प्रदान करते हुए, तेजाब हमले की अपराध के रूप में व्याख्या की गयी है । साथ ही यह प्रावधान किया गया है कि सभी अस्पताल बलात्कार या तेजाब हमला पीड़ितों को तुरंत प्राथमिक सहायता या निशुल्क उपचार उपलब्ध करायेंगे और ऐसा करने में विफल रहने पर उन्हें सजा का सामना करना पड़ेगा। कानून में कम से कम 7 साल की सजा का प्रावधान है, जो प्राकृतिक जीवन–काल तक के लिए बढ़ाई जा सकती है और यदि दोषी व्यक्ति पुलिस अधिकारी, लोकसेवक, शस्त्र बलों या प्रबंधन या अस्पताल का कर्मचारी है तो उसे जुर्माने का भी सामना करना पड़ेगा। कानून में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन किया गया है जिसके तहत बलात्कार पीड़िता को, यदि वह अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम हो जाती है तो उसे अपना बयान दुभाषियों या विशेष एजुकेटर की मदद से न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराने की अनुमति दी गयी है। ये अधिनियम संशोधित भारतीय दंड संहिता का एक अंग हैं।

दंड प्रक्रिया संहिता (सी.आर.पी.सी) 1973 – दंड प्रक्रिया संहिता 1973 भारत में आपराधिक कानून के क्रियान्वयन के लिए मुख्य कानून है। 1973 में पारित होकर यह कानून 1974 में लागू हुआ। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, हमेशा दो प्रक्रियाएं होती हैं, जिन्हें पुलिस अपराध की जांच करने में अपनाती है। एक प्रक्रिया पीड़ित के सम्बन्ध में और दूसरी आरोपी के सम्बन्ध में। दंड प्रक्रिया संहिता/ सी.आर.पी.सी में इन दोनों प्रक्रियाओं का ब्यौरा दिया जाता है।

इस कानून की धारा 376– बलात्कार, धारा 376 ए– स्त्री के साथ, उसकी सहमति या सहमति के बिना, डरा धमकाकर, या उसके प्रियजनों की मृत्यु का भय दिखाकर उसके साथ किया गया बलात्कार, जिसके कारण उस स्त्री को कोई गंभीर क्षति पहुचती है, या उसकी मृत्यु हो जाती है, **धारा 376 बी–**, पति द्वारा पत्नी से अलग होने की स्थिति में पति द्वारा पत्नी की सहमति के बिना उससे शारीरिक सम्बन्ध बनाना, बलात्कार माना जायेगा, **धारा 376 ए बी**– 12 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ बलात्कार, **धारा 376 सी**– किसी अधिकारी, लोक सेवक, जेल, रिमांड होम, अभिरक्षा के किसी अन्य स्थान, स्त्रियों या बालकों की संस्था का अधीक्षक या प्रबंधक, या अस्पताल का कर्मचारी होते हुए, ऐसी किसी स्त्री जो उसकी अभिरक्षा में है या अधीन है या परिसर में उपस्थित है उस स्त्री के साथ यौन अपराध कारित करना, **धारा 376 डी**– एक या एक से अधिक व्यक्ति द्वारा किसी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार, **धारा 376 डी ए**– 16 वर्ष से कम उम्र की महिला का एक या एक से अधिक व्यक्ति द्वारा मिलकर सामूहिक बलात्कार , **धारा 376 डी बी**–12 वर्ष से कम उम्र की महिला का एक या एक से अधिक व्यक्ति द्वारा मिलकर सामूहिक बलात्कार, **धारा 376 ई**– भारतीय दंड संहिता की धारा 376. 376 ए, या 376 डी, के अधीन दंडनीय किसी अपराधों के लिए पहले कभी दण्डित किया गया हो और बलात्कार के अपराध में 376, 376 ए, 376 बी, 376 सी, 376 डी में बताये गए किसी भी अपराध की पुर्नरावति करता है, इन सभी धाराओं में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान है। जैसे किसी भी महिला आरोपी को बिना किसी महिला कांस्टेबल के शाम 6 बजे के बाद अथवा सुबह 6 बजे से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता ।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, की धारा (53 ए) :– भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की घारा 354, 354 क, 354 ख, 354 ग, 354 घ व 376 , 376 ए, 376 एबी, 376 बी, 376 सी, 376 डी, 376 डीए, 376 डीबी, 376 ई के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में या किसी ऐसे अपराध के करने के प्रयत्न के लिए सम्मति का विवाद्य है। वहॉ पीडिता के आचरण या ऐसे व्यक्ति को किसी व्यक्ति के साथ पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य ऐसी सम्मति या सम्मति की गुणता के मुदद‌े पर सुसंगत नहीं होगा।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, की धारा (114 ए) :– भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 376 , 376 ए, 376 एबी, 376 बी, 376 सी, 376 डी, 376 डीए, 376 डीबी, 376 ई के

अधीन किसी अभियोजन में जहॉ अभियुक्त द्वारा मैथुन किया जाना साबित हो जाता है। और प्रश्न यह है कि क्या वह उस स्त्री की, जिसके बारे में यह अभिकथन किया गया है कि उससे बलात्संग किया गया है, सम्मति के बिना किया गया है और ऐसी स्त्री अपने साक्ष्य में न्यायालय के समक्ष यह कथन करती है कि उसने सम्मति नहीं दी थी, वहॉ न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि उसने सम्मति नहीं दी थी।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, की धारा (114 बी) :– भारतीय दण्ड संहिता (1860) की घारा 354, 354 क, 354 ख, 354 ग, 354 घ व धारा 509, 509 क, 509 ख के अन्तर्गत किसी व्यक्ति ने अपराध कारित किया है और यदि पीडित न्यायालय के समक्ष यह कथन करती है कि उसका यौन उत्पीडन हुआ या उसकी लज्जा भंग हुई है अथवा उसके कपडे उतारे गये है अथवा उसका पीछा किया गया है या उसकी निष्ठा में हस्तक्षेप किया गया अथवा वह किन्हीं साधानों द्वारा यौन उत्पीडित की गई है। वहॉ न्यायालय जब तक कि विपरीत साबित ना हो तब तक यह उप धारणा कर सकेगा कि ऐसा अपराध उस व्यक्ति द्वारा कारित किया गया।

दहेज निषेध अधिनियम 1961 (संशोधित 1986)– दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 2 को दहेज (निषेध) अधिनियम 1984 और 1986 के अंतर्गत दहेज लेने, देने या इसके लेन–देन में सहयोग करना दोनों अपराध है। दहेज लेने–देने, या इसके लेन–देन में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद और 15,000 रूपये के जुर्माने का प्रावधान है।

दहेज लेने और देने या दहेज लेने और देने के लिए उकसाने पर या तो 6 महीने का अधिकतम कारावास है या 5000 रूपये तक का जुर्माना अदा करना पड़ता है। वधु के **माता–पिता या अभिभावकों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दहेज की मांग करने पर भी यही सजा दी जाती है।** बाद में संशोधन अधिनियम के द्वारा इन सजाओं को भी बढाकर न्यूनतम 6 महीने और अधिकतम दस साल की कैद की सजा तय कर दी गयी है। वहीँ जुर्माने की रकम को बढ़ाकर 10,000 रूपये, ली गयी, दी गयी या मांगी गयी दहेज की रकम, दोनों में से जो भी अधिक हो, के बराबर कर दिया गया है। हालाँकि अदालत ने न्यूनतम सजा को कम करने का फैसला किया है लेकिन ऐसा करने के लिए अदालत को जरूरी और विशेष कारणों की आवश्यकता होती है **(दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4) दंडनीय है– दहेज देना, दहेज लेना, दहेज लेने और देने के लिए उकसाना एवं वधु के माता–पिता या अभिभावकों से सीधे या परोक्ष तौर पर दहेज की मांग करना।**

भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए निर्ममता तथा दहेज के लिए उत्पीड़न, 304 बी इससे होने वाली मृत्यु और 306 भादसं– उत्पीड़न से तंग आकर महिलाओं द्वारा आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाली घटनाओं से निपटने के लिए कानूनी प्रावधान है ।

यदि किसी लड़की की विवाह के सात साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मौत होती है और यह साबित कर दिया जाता है कि मौत से पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 304—बी के अंतर्गत लड़की के पति और रिश्तेदारों को कम से कम सात वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।

इस अधिनियम के अंतर्गत दहेज, उपहार और स्त्रीधन को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है:

दहेजः प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर दी गयी कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति सुरक्षा या उसे देने की सहमति":—

- विवाह के एक पक्ष के द्वारा विवाह के दूसरे पक्ष को या
- विवाह के किसी पक्ष के अभिभावकों द्वारा या
- विवाह के किसी पक्ष के किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को या
- शादी के वक्त, या उससे पहले या उसके बाद कभी भी जो कि उपरोक्त पक्षों से सम्बंधित हो जिसमें मेहर की रकम सम्मिलित नहीं की जाती, अगर व्यक्ति पर मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत) लागू होता हो।

इस प्रकार दहेज से सम्बंधित तीन स्थितियां हैं—

- विवाह से पूर्व या
- विवाह के अवसर पर या
- विवाह के बाद या

स्त्रीधन : शादी के वक्त जो उपहार और जेवर को लड़की को दिए जाते हैं, वे स्त्रीधन कहलाते हैं। इसके अलावा लड़के और लड़की दोनों के कॉमन उपयोग के सामान जैसे फर्नीचर, टीवी, आदि स्त्रीधन में आते हैं।

उपहारः लड़की शादी में जो सामन अपने साथ लेकर आती है या उसके पति को या उसके पति के रिश्तेदारों को दिया जाता है वह उपहार के दायरे में आता है।

अधिनियम से जुडी प्रमुख धाराएं :

- **धारा 2**— दहेज का मतलब है कोई सम्पति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना या देने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से
- **धारा 3**—दहेज लेने या देने का अपराध

- **धारा 4**–दहेज की मांग के लिए जुर्माना
- **धारा 4ए**– किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रकाशन या मिडिया के माध्यम से पुत्र–पुत्री के शादी के एवज में व्यवसाय या सम्पत्ति या हिस्से का कोई प्रस्ताव
- **धारा 6**– कोई दहेज विवाहिता के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति द्वारा धारण किया जाना
- **धारा 8ए**– घटना से एक वर्ष के अन्दर शिकायत
- **धारा 8बी**– दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति

2009 में राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस अधिनियम में कुछ परिवर्तन प्रस्तावित किये थे। जिसके अनुसार, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के लिए नियुक्त किये गए सुरक्षा अधिकारियों को दहेज सुरक्षा अधिकारियों के दायित्व भी निभाने के लिए अधिकृत किया जाए।

महिला जहाँ कहीं भी स्थायी या अस्थायी तौर पर रह रही है वहीँ से दहेज की शिकायत दर्ज करने की अनुमति दी जाए।

स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986– भारत की संसद का एक अधिनियम है, जिसे विज्ञापन, प्रकाशन, लेखन चित्रों, आंकड़ों या किसी अन्य तरीके से महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधत्व पर रोक लगाने के लिए लागू किया गया है।

इस अधिनियम में किसी स्त्री के अशिष्ट चित्रण को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि किसी स्त्री का ऐसा चित्रणः

- जिससे उसकी लज्जा भंग हो सकती हो या
- जन साधारण के नैतिक चरित्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या
- किसी महिला की आकृति, उसके रूप या शरीर अथवा उसके किसी भाग का इस प्रकार वर्णन या चित्रण करना जिससे उसका चरित्र कलंकित हो तथा जिससे दुराचार, भ्रष्टाचार या लोक अप्रदुषण अथवा नैतिकता की हानि होने की सम्भावना हो। अश्लील चित्रण की परिधि में आयेगा।
- ऐसा करना महिलाओं का स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 के अधीन दण्डनीय अपराध है।

जिसके लिए अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित दंडात्मक प्रावधान हैं :

- प्रथम बार अपराध करने पर 02 वर्ष तक की अवधि का कारावास तथा रू. 02 हजार का जुर्माना

- ऐसे अपराध की पुनरावृत्ति करने पर न्यूनतम 06 माह से 05 वर्ष तक का कारावास तथा न्यूनतम रू. 10000– से रू. 01 लाख तक का जुर्माना।

इसके खिलाफ किसी भी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित जगहों पर शिकायत करवाई जा सकती है :

- नजदीकी पुलिस स्टेशन
- जिला न्यायालय
- उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास से कर सकती है
- तहसील जिला राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क परामर्शधविधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

उपरोक्त में किसी से भी स्वयं माता–पिता या अन्य रिश्तेदार या सरकार द्वारा मान्य कोई समाज सेवी संस्था के माध्यम से शिकायत दर्ज करायी जा सकती है या फिर टोल फ्री नं. पर कॉल कर सकते हैं।

सती (रोकथाम) अधिनियम 1987– यह सती प्रथा को रोकने एवं स्त्रियों की सुरक्षा के लिए 1987 में राजस्थान सरकार द्वारा लागू एक कानून है। यह 1988 में द कमीशन ऑफ सती (रोकथाम) अधिनियम, 1987 के अधिनियमन के साथ भारत की संसद का एक अधिनियम बन गया। अधिनियम सती को रोकने का प्रयास करता है। विधवाओं के जीवित रहने या स्वैच्छिक या मजबूरन जलने या दफनाने, और किसी भी समारोह के पालन के माध्यम से इस क्रिया के महिमामंडन पर रोक लगाने के लिए, किसी भी जुलूस में भागीदारी, एक वित्तीय ट्रस्ट का निर्माण, एक मंदिर का निर्माण, या किसी भी कार्रवाई के लिए एक विधवा की स्मृति को स्मरण करना या उसे सम्मानित करना जिसने सती किया। सती को पहली बार बंगाल सती विनियमन, 1829 के तहत प्रतिबंधित किया गया था।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005– भारत की संसद द्वारा पारित अधिनियम है, जिसका उद्देश्य घरेलु हिंसा से महिलाओं को बचाना है। यह 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ।

किसी भी महिला के साथ किये गए, किसी भी प्रकार का शारीरिक, मानसिक या लैंगिक दुर्व्यवहार या किसी भी प्रकार का शोषण जिससे महिला की गरिमा का उल्लंघन, अपमान या तिरस्कार हो, या वित्तीय साधन जिसकी वो हकदार है, से वंचित करना ये सभी कृत्य घरेलु हिंसा की श्रेणी में आते हैं।

इस कानून के तहत किसी भी घरेलु सम्बन्ध या रिश्तेदारी में किसी प्रकार का व्यवहार, आचरण या बर्ताव जिससे, किसी भी स्त्री के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, या किसी शारीरिक अंग को नुक्सान पहुँचता है एवं मानसिक या शारीरिक हानि होती है तो ये घरेलु हिंसा की श्रेणी में आते हैं जो कि एक अपराध है। ऐसी हिंसा होने की स्थिति में पीड़ित या ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे किसी कारण से लगता है कि घरेलु हिंसा की कोई घटना घटित हुई है, या घटने वाली है तो वह संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता को सूचित कर सकती है।

इस अधिनियम के अनुसार, जब किसी पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट को घरेलु हिंसा की घटना के बारे में पता चलता है, तो उन्हें पीड़ित को निम्नलिखित अधिकारों के बारे में सूचित करना होता है :

- पीड़ित इस कानून के तहत किसी भी राहत के लिए आवेदन कर सकती है जैसे कि दृसंरक्षण, आदेश, आर्थिक राहत, बच्चों के अस्थायी संरक्षण का आदेश, निवास आदेश या मुआवजे का आदेश
- पीड़ित आधिकारिक सेवा प्रदाताओं की सहायता ले सकती है
- पीड़ित संरक्षण अधिकारी से संपर्क कर सकती है
- पीड़ित निशुल्क कानूनी सहायता की मांग कर सकती है
- पीड़ित भारतीय दंड संहिता के तहत क्रिमिनल याचिका भी दाखिल कर सकती है
- इस कानून के तहत दिए गए संरक्षण आदेशों का उल्लंघन होने पर प्रतिवादी को 1 साल तक की जेल भी हो सकती है, या 20,000/– तक का जुर्माना या दोनों
- इस कानून में याचिका करने के लिए एक प्रारूप सुझाया गया, जिसका नाम है घरेलु घटना रिपोर्ट है, जिसको भरकर संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता, पुलिस के पास जमा कराया जा सकता है ।

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 – वर्ष 2013 में पारित इस अधिनियम के अनुसार, किसी भी ऐसी संस्था जिसमें 10 या 10 से अधिक लोग काम करते हैं, वहॉ आन्तरिक परिवाद समिति का गठन किया गया है। ऐसी संस्थाओं में महिला के साथ हुए किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न को एक अपराध माना गया है। ये अधिनियम विशाखा केस में दिए गए लगभग सभी निर्देशों को धारण एवं प्रावधानों को निहित करता है। जैसे शिकायत समितियों को सबूत जुटाने में सिविल कोर्ट वाली शक्तियां प्रदान की हैं, यदि नियोक्ता अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने में असफल होता है तो उसे 50,000 रूपये तक का अर्थदंड भरना पड़ेगा। ये अधिनियम किसी भी महिला कर्मचारी, ग्राहक, उपभोक्ता, प्रशिक्षु और दैनिक मजदूरी पर कार्यस्थल में प्रवेश करने

वाली या तदर्थ क्षमता में काम करने वाली महिलाओं को यह कानून सुरक्षा प्रदान करता है । इसके अतिरिक्त, कॉलेजों / विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों, शोध छात्रों और अस्पतालों में रोगियों को भी कवर किया गया है। जांच की अवधि के दौरान महिला छुट्टी ले सकती है या स्थांनान्तरण करवा सकती है। यह कानून, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को अवैध करार देता है। इस कानून में यौन उत्पीड़न के विभिन्न प्रकारों को चिन्हित किया गया है और बताया गया है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की स्थिति में शिकायत किस प्रकार की जा सकती है । इस कानून के अंतर्गत किसी भी महिला के साथ, किसी भी कार्यस्थल पर (चाहे वह वहाँ काम करती हो या नहीं), किसी भी प्रकार का यौन उत्पीड़न हुआ हो तो उसे इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का अधिकार प्राप्त है।

पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (PCPNDT) अधिनियम 1994– भारत में कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगनुपात को रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित एक संघीय कानून है। भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से जन्म पूर्व लिंग निर्धारण के प्रति अपना विरोध व्यक्त किया, जिसके फलस्वरूप दिनांक 1.1.96 को प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरूपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 लागू कर ऐसी जॉचों को कानूनी अपराध ठहराया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत आनुवंशिक सलाह केन्द्रों, आनुवंशिक प्रयोगशालाओं, आनुवंशिक क्लिनिकों, अल्ट्रासाउण्ड क्लिनिकों और इमेजिंग सेन्टरों में जहां गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक से संचालन की व्यवस्था है वहां जन्म पूर्व निदान तकनीकों का उपयोग केवल निम्नलिखित विकारों की पहचान के लिए ही किया जा सकता है:–

- गुणसूत्र सम्बन्धी विकृति।
- आनुवंशिक उपापचय रोग।
- रक्त वर्णिका संबंधी रोग।
- लिंग संबंधी आनुवंशिक रोग।
- जन्मजात विकृतियां।
- केन्द्रीय पर्यवेक्षक बोर्ड द्वारा संसूचित अन्य असमानताएं व रोग।

इस अधिनियम के अन्तर्गत यह भी व्यवस्था है कि प्रसव पूर्व निदान तकनीक के उपयोग या संचालन के लिये चिकित्सक निम्नलिखित शर्तो को भली प्रकार जांच कर लेवें कि गर्भवती महिला के भ्रूण की जांच की जाने योग्य है अथवा नही:–

- गर्भवती स्त्री की उम्र 35 वर्ष से अधिक है।
- गर्भवती स्त्री के दो या उससे अधिक स्वतः गर्भपात या गर्भस्त्राव हो चुके हैं।

- गर्भवती स्त्री नशीली दवा संक्रमण या रसायनो जैसे सशक्त विकलांगता प्रदार्थो के संसर्ग में रही है।
- गर्भवती स्त्री या उसके पति का मानसिक मंदता या संस्तंभता जैसे किसी शारीरिक विकार या अन्य किसी आनुवांशिक रोग का पारिवारिक इतिहास है।
- केन्द्रीय पर्यवेक्षक बोर्ड द्वारा संसूचित कोई अन्य अवस्था है।

इस अधिनियम से प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है एवं इसके तहत लिंग की जांच पर पाबंदी है। ऐसे में अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी कराने वाले जोड़े या करने वाले डॉक्टर, लैब कर्मी को 3 से 5 साल तक की सजा और 10 से 50 हजार तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है ।

पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (PCPNDT) अधिनियम (संशोधन) 1994– भारत सरकार ने उक्त अधिनियम में आवश्यक संशोधन कर दिनांक 14.2.2003 से अधिनियम का नाम गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध)अधिनियम, 1994 रखा है।

अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956– इस अधिनियम के अनुसार 18 वर्ष का कोई भी व्यक्ति नाबालिग है। यह अधिनियम व्यवसायिक यौन उत्पीड़न (वैश्यावृत्ति) के उद्देश्यों से किये जाने वाले व्यापार की रोकथाम एवं इससे सुरक्षा प्रदान करता है। वैश्यावृत्ति करने या उसके लिए फुसलाने/ याचना करने के सम्बन्ध में दोषी महिला को उसके मानसिक या शारीरिक स्थिति के आधार पर न्यायालय उसको सुधार संस्था में भी भेजने का आदेश दे सकती है।

अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के अंतर्गत बाल एवं महिला विशेष निम्नलिखित कार्य अपराध हैं –

- अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे या नाबालिग द्वारा की गई वेश्यावृत्ति की कमाई पर रहता है तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम 7 साल व अधिक से अधिक 10 साल की जेल हो सकती है।
- 18 साल से कम उम्र की लड़की को गैर कानूनी संभोग के लिए फुसलाना (धारा–366–क) –यदि कोई व्यक्ति किसी 16 साल से कम उम्र की लड़की को फुसलाता है, किसी स्थल से जाने को या कोई कार्य करने को यह जानते हुए कि उसके साथ अन्य व्यक्ति द्वारा गैर कानूनी संभोग किया जाएगा या उसके लिए मजबूर किया जाएगा तो ऐसे व्यक्ति को 10 साल तक की जेल और जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

- विदेश से लड़की का आयात करना (धारा 366–ख)– अगर कोई व्यक्ति किसी 21 साल से कम उम्र की लड़की को विदेश से या जम्मू कश्मीर से लाता है, यह जानते हुए कि उसके साथ गैर कानूनी संभोग किया जाएगा या उसके लिए मजबूर किया जाएगा तो ऐसे व्यक्ति को 10 साल तक की जेल और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।
- वेश्यावृत्ति आदि के लिए बच्चों को बेचना (धारा–372)– अगर कोई व्यक्ति किसी 18 साल से कम उम्र के बच्चे को वेश्यावृत्ति, या गैर कानूनी संभोग, या किसी कानून के विरूद्ध और दुराचारिक काम में लाए जाने या उपयोग किए गए जाने के लिए उसको बेचता है या भाड़े पर देता, तो ऐसे व्यक्ति को 10 साल तक की जेल और जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है।
- यदि कोई व्यक्ति किसी 18 साल से कम उम्र की लड़की को किसी वेश्या या किसी व्यक्ति को, जो वेश्यागृह चलाता हो या उसका प्रबंध करता हो, बेचता है, भाड़े पर देता है तो यह माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने लड़की को वेश्यावृत्ति के लिए बेचा है, जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए।
- वेश्यावृत्ति आदि के लिए बच्चों को खरीदना (धारा 373) –अगर कोई व्यक्ति किसी 18 साल से कम उम्र के बच्चे को वेश्यावृत्ति, या गैर कानूनी संभोग, या किसी कानून के विरूद्ध, और दुराचारिक काम में लाए जाने या उपयोग किए जाने के लिए उसको खरीदता है या भाड़े पर देता है, तो ऐसे व्यक्ति को 10 साल की जेल और जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है।

राज्य सरकार इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के संबंध में विशेष पुलिस अधिकारियों को नियुक्त करेगी। सरकार कुछ महिला सहायक पुलिस अधिकारियों की भी नियुक्ति कर सकती है।

इस अधिनियक के अंदर दिए गए सभी अपराध संज्ञेय हैं –

इस अधिनियम के अंदर दिए गए अपराध के दोषी व्यक्ति को विशेष पुलिस अधिकारी या उसके निर्देश के बिना, वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है।

तलाशी लेना –

विशेष पुलिस अधिकारी **या दुर्व्यापार** पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी स्थान की तलाशी तब ले सकते हैं, जब उनके साथ उस स्थान के दो या दो से अधिक सम्मानित व्यक्तियों, जिनमें कम से कम एक महिला भी साथ हो।

वहां पर मिलने वाले व्यक्तियों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों की आयु, लैंगिक शोषण, व यौन संबंधी बीमारियों की जानकारी के लिए चिकित्सीय जांच करायी जाएगी।

ऐसे स्थानों पर मिलने वाली महिलाएं या लड़कियों से, महिला पुलिस अधिकारी ही पूछताछ कर सकती है।

वेश्यागृह से छुड़ाना –अगर मजिस्ट्रेट को किसी पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से सूचना मिलती है कि कोई व्यक्ति वेश्यावृत्ति कर रहा है या करता रहा है तो पुलिस अधिकारी (जो इंस्पेक्टर की श्रेणी से उच्च का होगा) उस स्थान की तलाशी लेने और वहां मिलने वाले लोगों को उसके सामने पेश करने को कह सकता है।

वेश्यागृह को बंद करना –

मजिस्ट्रेट को पुलिस से या किसी अन्य व्यक्ति से सूचना मिलती है कि कोई घर मकान, स्थान आदि सार्वजनिक स्थान के 200 मीटर के भीतर वेश्यावृत्ति के लिए प्रयोग किया जा रहा है तो वह उस जगह के मालिक किराएदार, एजेंट या जो उस स्थान की देखभाल कर रहा है, उसे नोटिस देगा कि वह सात दिन के अंदर जवाब दें कि क्यों न उस स्थान को अनैतिक काम के लिए प्रयोग किए जाने वाला घोषित किया जावे।

सम्बंधित पक्ष को सुनने के बाद यदि यह लगता है कि वहां पर वेश्यावृत्ति हो रही है तो मजिस्ट्रेट सात दिन के अंदर उसको खाली करने व उसकी अनुमति के बिना किराये पर न देने के आदेश दे सकता है।

संरक्षण गृह में रखने के लिए आवेदन –

कोई व्यक्ति जो वेश्यावृत्ति करता है या जिससे वेश्यावृत्ति करायी जाती है, वह मजिस्ट्रेट से संरक्षण गृह में रखने व न्यायालय से सुरक्षा के लिए आवेदन कर सकता है।

मानव तस्करी (रोकथाम, सुरक्षा व पुनर्वास) बिल, 2018– महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा 18 जुलाई, 2018 को लोकसभा में यह बिल पेश हुआ जो 26 जुलाई, 2018 को एक सदन में पारित हो गया। एक सदन में पारित इस बिल में सभी तरीकों से तस्करी की जांच करने के लिए और तस्करी पीड़ितों के बचाव, सुरक्षा व पुनर्वास के नियम स्थापित करने का प्रावधान है।

बालकों से सम्बंधित अपराध

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2015 –16 के अनुसार भारत में बच्चों के प्रति होने वाले अपराध जैसेय बाल श्रम, बाल व्यापार, अपहरण, शारीरिक–मानसिक हिंसा, यौन शोषण, बलात्कार आदि के मामलों में लगभग दोगुनी बढ़ोतरी हुई है। ये अपराध घर, स्कूलों, अनाथालयों, आवास–गृहों, सड़क, कार्यस्थल, जेल, सुधार–गृह आदि किसी जगह पर, किसी के भी द्वारा हो सकते हैं। बालकों के साथ अपराध करने वाला, जान–पहचान से लकर अनजान तक कोई भी हो सकता है।

बाल संरक्षण के लिए बनाए गए कानून निम्नलिखित हैंः

बालक एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियम) अधिनियम, 1986– इस अधिनियम की धारा 3 के तहत 14 वर्ष तक की आयु वर्ग तक के बालक से किसी भी प्रकार का खतरनाक एवं गैर खतरनाक कार्य कराना संज्ञेय अपराध है अर्थात चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खानों और खतरनाक कामों में लगाने से रोकने और कुछ अन्य रोजगारों में उनके काम की स्थितियों को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार, कोई बच्चा अनुसूची के भाग क में निर्धारित व्यवसायों में अथवा ऐसी कार्यशाला में जहां अनुसूची के भाग ख में निर्धारित प्रक्रियाएं चलाई जाती है, लगाया नहीं जाएगा, बशर्ते कि इस अधिनियम का कोई प्रावधान ऐसी कार्यशाला पर लागू नहीं होगा जहां कोई प्रक्रिया उसके स्वामी द्वारा अपने परिवार की मदद से चलाई जा रही हो अथवा ऐसे स्कूल पर जो सरकार द्वारा स्थापित हो या सहायता प्राप्त हो अथवा मान्यता प्राप्त हो। साथ ही केन्द्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके अधिनियम की अनुसूची में व्यवसायों और प्रक्रियाओं को शामिल करने के प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार को सलाह देने के लिए 'बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति गठित कर सकती है।

श्रम मंत्रालय में कें‍द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) इस अधिनियम को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। सीआईआरएम मंत्रालय का सम्बद्ध कार्यालय है और इसे मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) सीएलसी (सी) संगठन के नाम से भी जाना जाता है। सीआईआरएम के प्रमुख आयुक्त (केन्द्रीय) है। इसके अतिरिक्त मौजूदा विनियमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने और कामकाजी बच्चों के कल्याण हेतु उपायों का सुझाव देने के लिए मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय बाल श्रम सलाहकार बोर्ड भी गठित किया गया है।

इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्नानुसार है–

- किसी भी बच्चे को किसी भी स्थापना में, ऐसी स्थापना अथवा ऐसी श्रेणी की स्थापना हेतु निर्धारित घण्टों से अधिक न तो काम करना होगा अथवा न काम

करने की अनुमति दी जाएगी। प्रत्येक दिन काम की अवधि इस तरह नियत की जाए कि कोई अवधि तीन घण्टे से अधिक न हो और कोई बच्चा तीन घण्टे से अधिक काम नहीं करेगा एवं इसके बाद उसे कम से कम एक घण्टा आराम करने के लिए समयान्तराल दिया जाएगा।

- किसी भी बच्चे को समयोपरि कार्य नहीं करना होगा और न ही इसकी अनुमति दी जाएगी। किसी भी बच्चे को किसी भी ऐसे दिन ऐसी स्थापना में कार्य नहीं करना होगा या अनुमति नहीं दी जाएगी जिस दिन वह पहले ही किसी स्थापना में कार्य करता रहा हो।
- किसी स्थापना में कार्य कर रहे प्रत्येक बच्चे को हर हफ्ते एक पूरे दिन की छुट्टी दी जाएगी, ऐसा दिन जो नियोक्ता द्वारा स्थापना में स्थायी रूप से सामने दिखाई देने वाले नोटिस पर निर्दिष्ट किया जाए और इस प्रकार निर्दिष्ट छुट्टी के दिन को नियोक्ता द्वारा तीन माह में एक बार से अधिक नहीं बदला जाएगा।

प्रत्येक नियोक्ता किसी स्थापना में नियोजित या काम करने के लिए अनुमत बच्चों के संबंध में ऐसा रजिस्टर बनाकर रखेगा जो काम के घण्टों के दौरान या कार्य किए जाने के दौरान निरीक्षक द्वारा निरीक्षण किए जाने के लिए उपलब्ध हो और जिसमें यह सूचना दिखाई गई हो –

(नियोजित या काम करने के लिए अनुमता बच्चे का नाम और जन्म तिथि या

(ऐसे प्रत्येक बच्चे के काम के घण्टे और अवधि और विश्राम का समयान्तराल जिसका वह हकदार है

(ऐसे किसी बच्चे का कार्य का स्वरूप और

(यथानिर्धारित अन्य ब्यौरा।

सम्बंधित सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके ऐसी स्थापना या स्थापनाओं की श्रेणी में नियोजित या काम करने के लिए अनुमत बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए नियम बना सकती है।

जो व्यक्ति इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए किसी बच्चे को नियोजित या काम करने की अनुमति देता है, कारावास या जुर्माने या दोनों के दण्ड का भागी होगा।

कोई भी व्यक्ति, पुलिस अधिकारी या निरीक्षण इस अधिनियम के तहत किए गए अपराध की शिकायत सक्षम न्यायालय में दाखिला कर सकता है। इस अधिनियम के अंतर्गत हुए किसी

अपराध की सुनवाई मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से अवर न्यायालय नहीं करेगा।

बाल श्रम के ऐसे केस जिसमें बच्चों के बंधुआ मजदूर के सामान स्थिति में पाए जाने पर बाल श्रम से सम्बंधित अपराधों में केस/प्रकरण को और मजबूत करने के लिए बंधुआ मजदूर प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम 1976 को भी लगाया जाता है।

बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 के अनुसार बच्चों को दो श्रेणियों में बांटा गया हैः

- एक ऐसा व्यक्ति, जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो, 14 वर्ष तक की आयु के किसी भी बच्चे को कहीं भी रोजगार पर नहीं लगाया जा सकता है।
- एक ऐसा व्यक्ति, जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी की हो, लेकिन 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो, ऐसे बालक को किसी भी खतरनाकः जोखिम वाले व्यवसायों या प्रक्रियाओं में काम पर नहीं लगाया जाना चाहिए और खतरनाक कार्य करने की अनुमति भी नहीं देनी चाहिए।

बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के धारा (बी) के तहत यदि कोई विवाहित जोड़े में से कोई भी एक नाबालिग है, तो इसे बाल विवाह माना जाता है। 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 से कम उम्र के लड़के को इस अधिनियम के तहत नाबालिग माना गया है। इसका अर्थ है कि विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु लड़की के लिए 18 और लड़के के लिए 21 वर्ष है।

केन्द्र सरकार द्वारा 1929 के बाल विवाह निषेध अधिनियम को निरस्त करके और उसके स्थान पर 2006 में अधिक प्रगतिशील बाल विवाह निषेध अधिनियम लाकर हाल के वर्षों में इस प्रथा को रोकने की दिशा में काम किया गया है। इसके अंतर्गत उन लोगों के खिलाफ कठोर उपाय किये गये हैं जो बाल विवाह कि इजाजत देते हैं और उसे बढ़ावा देते हैं। यह कानून नवम्बर 2007 में प्रभावी हुआ।

इस कानून के अनुसार, जो कोई भी व्यक्ति, अठारह वर्ष से अधिक आयु का पुरुष वयस्क होते हुए, बाल–विवाह करेगा, वह, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा। जहां कोई बालक बाल–विवाह करेगा, वहां ऐसा कोई व्यक्ति जिसके भारसाधन में चाहे माता–पिता अथवा संरक्षक या किसी अन्य व्यक्ति के रूप में अथवा अन्य किसी विधिपूर्ण या विधिविरुद्ध हैसियत में, बालक है, जिसके अंतर्गत किसी संगठन या व्यक्ति निकाय का सदस्य भी है, जो विवाह का संवर्धन करने के लिए कोई कार्य करता है या उसका अनुष्ठापित किया जाना

अनुज्ञात करता है या उसका अनुष्ठान किए जाने से निवारण करने में उपेक्षापूर्वक असफल रहता है, जिसमें बाल–विवाह में उपस्थित होना या भाग लेना सम्मिलित है, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा परंतु कोई स्त्री कारावास से दंडनीय नहीं होगी।

यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा का अधिनियम (पोक्सो एक्ट), 2012– बालकों के प्रति बढ़ते हुए अपराधों के समुचित उपचार एवं नियंत्रण के लिए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पोक्सो एक्ट) लाया गया। 14 नवम्बर, 2012, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012, (पोक्सो एक्ट) लागू किया गया। इस कानून में बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए पुलिस के स्तर पर शिकायत दर्ज कराने तथा न्यायायिक प्रक्रिया को बाल मैत्रीपूर्ण बनाने का प्रयास किया गया है । इस कानून के द्वारा न सिर्फ बच्चों के प्रति होने वाले कई तरह के यौन/ लैंगिक अपराधों को कानून के दायरे में लाया गया है, साथ ही इन अपराधों के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। इनमें प्रमुख रूप से बच्चों के प्रति यौन हमला, यौन शोषण/ उत्पीड़न, अश्लीलता, गोपनीयता आदि को शामिल किया गया है। बच्चों के प्रति होने वाले यौन अपराधों के प्रति माता–पिता, स्कूल, को–पड़ोसी, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस, मीडिया, सामाजिक एवं सरकारी संगठनों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। सामुदायिक स्तर पर इनके सामुहिक प्रयास के बिना अपेक्षित परिणाम लाना चुनौतीपूर्ण है

प्रवेशन लैंगिक हमला (धारा 3)

- एक व्यक्ति जब अपना लिंग किसी भी सीमा तक किसी बच्चे की योनि, मूंह, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश करता है या बच्चे से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है या
- किसी वस्तु या शरीर के ऐसे भाग को, जो लिंग नही है, किसी सीमा तक बच्चे की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में डालता है या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ करवाता है या
- बालक के लिंग, योनि, गुदा या मूत्रमार्ग पर अपना मूंह लगाता है या ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के साथ बालक के साथ ऐसा करवाता है।

प्रवेशन लैंगिक हमला (धारा 4)

जो कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला में शामिल है : (धारा 5)

यदि कोई लोक सेवक होते हुए बच्चे पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है ।

- यदि कोई किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह, संरक्षण गृह, किसी अस्पताल, सरकारी या प्राइवेट, कोई भी संस्थान– शैक्षणिक, धार्मिक आदि का प्रबंधक या कर्मचारी होते हुए उस परिसर में बच्चे पर प्रवेशन लैंगिक हमला
- कोई भी पुलिस अधिकारी होते हुए बच्चे पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है
- अपने पुलिस स्टेशन या कार्यक्षेत्र में जहां उसकी नियुक्ति हुई है या
- किसी भी स्टेशन हाउस के अन्दर, चाहे वो पुलिस स्टेशन के भीतर हो या न हो, जहां पर व नियुक्ति है या
- अपने ड्यूटी के दौरान या उसके अलावा या
- जहां पर वह पुलिस अधिकारी के रूप जाना जाता है या
- जो कोई सशत्र बल या सुरक्षा बल का सदस्य होते हुए बच्चे पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है
- उस क्षेत्र सीमा के अन्दर जहां उसकी नियुक्ति हुई है या
- जहां पर उस व्यक्ति को सशत्र बल या सुरक्षा बल का सदस्य के रूप जाना जाता है या ज्ञात है या
- सामूहिक प्रवेशन यौनिक हमला
- यदि बच्चा 12 साल से कम है तो
- किसी तरह की धमकी/ हथियार/नशे का इस्तेमाल बच्चे को किसी तहत बिमारी/गंभीर चोट जिससे किसी भी प्रकार की विकलागंता/ संक्रमण

लैंगिक हमला (धारा 6) – जो कोई गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु वह आजीवन कारावास तक हो सकेगी दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

लैंगिक हमला (धारा 7)

जो कोई, लैंगिक आशय से बालक की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को स्पर्श करता है या बालक से ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को स्पर्श कराता है या लैंगिक आशय से ऐसा कोई अन्य कार्य करता है जिसमें प्रवेशन किये बिना शारीरिक अन्तग्रस्त होता है, लैंगिक हमला करता है यह कहा जाता है।

लैंगिक हमला (धारा 8) – जो कोई लैंगिक हमला करेगा वह दोनों मे से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं किन्तु 5 वर्ष तक हो सकेगी दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

लैंगिक उत्पीड़न (धारा 11)

- कोई शब्द कहता है या कोई ध्वनि या अंगविक्षेप करता है या कोई वास्तु या शरीर का भाग इस आशय के साथ प्रदर्शित करता है कि बालक द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाएगी या ऐसा अंगविक्षेप या वास्तु या शरीर का भाग देखा जायेगाय या
- किसी बालक को उसके शरीर या उसके शरीर का कोई अंग प्रदर्शित कराता है जिससे उसको व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देखा जा सके
- अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी प्रारूप या मीडिया में किसी बालक का कोई वास्तु दिखाता हैय या
- अश्लील प्रयोजनों के लिए बच्चों का इस्तेमाल
- जो कोई, किसी बालक का, मीडिया के (जिसमें टीवी चौनलों या इंटरनेट या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप या मुद्रित प्रारूप द्वारा प्रसारित कार्यक्रम या विज्ञापन का आशय व्यक्तिगत उपयोग या वितरण के लिए हो या नहीं सम्मलित है) किसी प्रारूप में ऐसे लैंगिक परितोषण के प्रयोजनों के लिए उपयोग करता है, जिसमें निम्नलिखित सम्मलित हैः

लैंगिक उत्पीडन के लिए दण्ड (धारा 12) – जो कोई किसी बालक पर लैंगिक उत्पीडन करेगा वह दोनों में किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

बालक का अश्लील प्रयोजनों के लिए (धारा 13)

- किसी बालक की जनेंद्रियों का प्रदर्शन करना
- किसी बालक का उपयोग वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यों में (प्रवेशन के साथ या उसके बिना) करनाय
- किसी बालक का अशोभनीय या अश्लीलतापूर्ण प्रतिदर्शन करना
- वह किसी बालक का अश्लील प्रयोजनों के लिए उपयोग करने के अपराध का दोषी होगा।

लैंगिक उत्पीड़न (धारा 14) :– जो कोई अश्लील प्रयोजन के लिए किसी बालक या बालको का उपयोग करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की

हो सकेगी दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा या पश्चातवर्ति दोष सिद्वि की दशा में वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा

अश्लील सामग्री का भंडारण

कोई व्यक्ति जो वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए बालक को सम्मलित करते हुए किसी अश्लील सामग्री का किसी भी रूप में भंदार्करण करेगा, वह किसी भांति के कारावास से जो 3 वर्ष तक हो सकेगा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।

यह अधिनियम न्यायिक व कानूनी प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर बच्चों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अपराधों का निपटारा विशेष अदालतों द्वारा किया जाता है एवं उनके लिए घटनाओं की रिपोर्टिंग, सबूतों की रिकॉर्डिंग, जांच एवं त्वरित सुनवाई के लिए बाल मैत्रीपूर्ण प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है। पोक्सो एक्ट 2012 की परिभाषा के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति नाबालिग है। यह अधिनियम बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों की पूर्ण एवं व्यापक रूप से पहचान करता है। यह प्रत्येक स्तर पर सभी बातों पर ध्यान देता है ताकि बच्चे के स्वास्थ्य, भावनात्मक, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक एवं बौद्विक विकास सुनिश्चित किया जा सके।

बालिकाओं के साथ बढती दरिंदगी को देखते हुए, इस एक्ट में बदलाव किया गया, जिसके तहत अब 12 साल तक की बच्ची से रेप के दोषियों को मौत की सजा मिलेगी। सरकार के द्वारा रखे इस प्रस्ताव को अप्रैल 2018 में कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिल गयी है । यदि अभियुक्त एक किशोर है, तो उसके ऊपर मुकदमा किशोर न्यायलय अधिनियम, 2000 (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) में मुकदमा चलाया जायेगा। यदि पीड़ित बच्चा विकलांग है या मानसिक रूप या शारीरिक रूप से बीमार है, तो विशेष अदालत को उसकी गवाही को रिकॉर्ड करने या किसी अन्य उद्देश्य के लिए अनुवादक, दुभाषिया या विशेष शिक्षक की सहायता ली जा सकती है। यदि अपराधी ने कुछ ऐसा अपराध किया है जो कि बाल अपराध कानून के अलावा अन्य कानून में भी अपराध है तो अपराधी को सजा उस कानून के तहत होगी जो सबसे सख्त हो। यदि कोई पुलिस, वकील, सरकारी अधिकारी जिनके संरक्षण में बच्चा हो, अगर वो इस तरह की घटना में अभियुक्त पाया जाता है तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान।

किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015– सर्वप्रथम किशोर न्याय अधिनियम 1986 में अस्तित्व में आया, जिसे देश भर में सन 2000 से लागू किया गया। इसमें सन 2006 व 2011 में कुछ संशोधन किये गए। सन 2015 में इस कानून में व्यापक परिवर्तन किये गए और यह एक नए स्वरुप में लागू किया गया। इस कानून में 112 धाराएं हैं एवं इसे 10 अध्यायों में विभाजित किया गया है। सन 2016 में इसकी नियमावली बनायीं गयी।

इस कानून को नया स्वरुप देने के पीछे कई कारण थे, जिनमें प्रमुख रूप से संथाओं में बच्चों के साथ बढ़ती घटनाएं, अपर्याप्त सुविधायें, देख–रेख एवं पुनर्वास की गुणवत्ता, अधिक संख्या में मामलों का लंबित रहना, दत्तक गृह में विलम्ब तथा 16 साल से 18 साल के बच्चों द्वारा किये जाने वाले जघन्य अपराधों में वृद्धि थी।

किस तरह के बच्चों पर यह कानून लागू है :

यह कानून दो तरह के बच्चों– देखभाल एवं संरक्षण वाले बच्चें एवं कानून से संघर्षरत बच्चों के सर्वोत्तम हित के लिए काम करता है। इस कानून के अंतर्गत पहली स्थिति में ऐसे बच्चें शामिल होंगे, जिनके पास रहने के लिए कोई घर/ जगह/ माता–पिता/ संरक्षक नहीं है या जिनके संरक्षक/ माता–पिता द्वारा बच्चे के साथ दुर्व्यवहार/ शोषण/मारपीट/ उपेक्षा या किसी भी तरह की हिंसा की जाती है। दूसरी स्थिति में यह कानून ऐसे बच्चों पर लागू होता है, जिनके द्वारा कोई ऐसा कृत्य किया गया है जो कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है।

विशेष किशोर पुलिस इकाई एवं बाल संरक्षण पुलिस अधिकारी के कार्य

इस कानून के अंतर्गत हर जिले में विशेष किशोर पुलिस इकाई (स्पेशल जुविनाइल पुलिस यूनिट– एस. जे.पी.ओ.) का गठन किया गया है ।प्रत्येक जिले में गठित एस.जे.पी.यू एवं प्रत्येक थाने में नियुक्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारी (सी.डब्लू.पी.ओ.) से यह अपेक्षित है कि बच्चों के मामलों को अविलम्ब एवं उनके सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करें । इनके प्रमुख कार्य निमांकित हैं :

- बच्चों के संपर्क में आने वाले बाल कल्याण पुलिस अधिकारी जहां तक संभव हो सादा कपड़ों में रहेंगे और वर्दी में नहीं रहेगे।
- बालिकाओं के साथ संपर्क के लिए महिला पुलिस कर्मियों को ड्यूटी पर लगाया जाएगा
- बाल कल्याण पुलिस अधिकारी बच्चों से विनम्र और सौम्य तरीके से बात करेगा।
- बच्चों को असहज बना देने वाले सवालों को विनम्रता एवं बुद्धिमतापूर्वक पूछा जायेगा
- बच्चे के प्रति होने वाले अपराध की एफ..आई.आर की कॉपी शिकायतकर्ता और पीड़ित बच्चे को सौंपी जायेगी। अन्वेषण की प्रति भी शिकायतकर्ता को भेजी जायेगी।
- किसी भी अभियुक्त या संभावित अभियुक्त को बच्चों के संपर्क में नहीं लाया जायेगा। जहां पीड़ित और कानून का उल्लंघन करने वाले, दोनों बच्चे हैं, उन्हें एक दूसरे के संपर्क में लाया जायेगा।

- एस.जे.पी.यू के पास किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति और बाल देखरेख संस्थाओं एवं उपयुक्त सुविधाओं की सूचि होगी। सभी सदस्यों के नाम एवं संपर्क ब्योरे प्रमुख भाग में प्रदर्शित किये जायेंगे।
- एस.जे.पी.यू जिला बाल संरक्षण इकाई, बोर्ड, समिति और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निकट समन्वय से कार्य करेगी।
- जब विधि का उल्लंघन करने के लिए पुलिस किसी बच्चे को निरुद्ध/पकड़ती हैः (किशोर न्याय अधिनियम–8)
- बच्चे के माता–पिता/ अभिभावक को सूचित किया जाएगा।
- सम्बंधित परिवीक्षा अधिकारी को सूचित किया जाएगा, ताकि बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि एवं अन्य महत्तवपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।
- 24 घंटे के भीतर उसे किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष बाल कल्याण पुलिस अधिकारी/ एस.जे.पी.यू द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा
- बाल कल्याण पुलिस अधिकारी/एस.जे.पी.यू निरुद्ध किये गए बच्चे को हवालात में न भेजकर सम्प्रेषण गृह में भेज सकता है।
- बच्चे को हथकड़ी, जंजीर या बेड़ी नहीं पहनाया जायेगा, तथा बच्चे पर बल का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
- बच्चे को उन आरोपों की जानकारी तुरंत उसके अभिभावक के माध्यम से दी जाएगी। यदि प्राथमिकी दर्ज की जाती है या सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट, तो उसकी कॉपी बच्चे को या अभिभावक को दी जाएगी।
- बच्चे को उपयुक्त चिकित्सीय सहायता, दुभाषिए या विशेष शिक्षक की सहायता दी जायेगी।
- बाल अनुकूल वातावरण में, बच्चे से उसके अभिभावकों की उपस्थिति में, बातचीत की जाएगी तथा किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जायेगा।
- बच्चे से किसी कथन पर हस्ताक्षर करने को नहीं कहा जायेगा।
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से बच्चे को निःशुल्क विधिक सेवा दी जाएगी।

सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट

- बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा, बच्चे की सामजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट (सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट– एस.बी.आर–प्रारूप 1) बच्चे की किसी अपराध में शामिल होने पर तैयार कर किशोर न्याय बोर्ड को भेजी जायेगी।

- जिले के सभी बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों, बाल कल्याण अधिकारियों, परिवीक्षा अधिकारियों, पैरालीगल स्वयंसेवियों की इस रिपोर्ट के बारे में समझ होना चाहिए।

बच्चों एवं महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों को रेखांकित किया गया है व उनके संरक्षण हेतु बनाए गए कानूनी प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं में पुलिस की विशेष भूमिका सुनिश्चित की गयी है। जब भी किसी बच्चे या महिला के प्रति कोई अपराध की घटना होती है या किसी बेसहारा महिला या बच्चे को पाया जाता है तब सबसे पहले, पुलिस से ही इनका संपर्क होता है। ऐसे में यह बेहद जरूरी हो जाता है कि पुलिस कर्मी और विशेष रूप से बाल संरक्षण पुलिस अधिकारी, एवं महिला पुलिस अधिकारी बाल एवं महिलाओं से जुड़े कानूनी प्रावधानों से परिचित हों, प्रक्रियाओं के बारे में दक्ष, उनके प्रति संवेदनशील एवं उनको समुचित संरक्षण दिलाने में समर्थ हों।

बच्चों एवं महिलाओं से सम्बंधित मामलों में पुलिस की भूमिकाः

- अपराध होने की संभावना अथवा अपराध होने पर रिपोर्ट लिखना।
- बच्चों एवं महिलाओं से सम्बंधित प्राप्त शिकायतों को दैनिक रजिस्टर में एंट्री व उनका रख–रखाव करना।
- एफ.आई.आर, सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट दर्ज कर जांच करना।
- सम्बंधित आयुक्त, श्रम, बाल कल्याण समिति/ चाइल्ड लाइन से संपर्क एवं समन्वय बनाकर रखें ।
- बालक और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियम) अधिनियम, 1986 की धारा 14, 16 के तहत प्राथमिकी सूचना दर्ज करनी चाहिए एवं परिस्थितियों के अनुसार किशोरे न्याय (बालकों की देख रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 75, 79 (जैसा की उल्लेखित है), बंधुआ मजदूरी उन्मूलन (अधिनियम), 1976 की धारा 16,17,18 और 19 के तहत प्राथमिकी सूचना दर्ज करनी चाहिए।
- आदेश जारी करने के लिए बाल –संरक्षण सम्बंधित पुलिस अधिकारी (**चाइल्ड मैरेज पुलिस ऑफिसर** –सी.एम.पी.ओ, चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर– सी.डब्ल्यू.पी.ओ, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट– एस.जे.पी.यू इत्यादि) को रिपोर्ट करना।
- पुलिस एवं विशेष किशोर पुलिस इकाई देखभाल की आव्यश्यकता रखने वाले बच्चे की सूचना प्राप्त करते ही ऐसे बालक को देख–रेख एवं संरक्षण उपलब्ध करवाएंगे एवं किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख व संरक्षण)

अधिनियम, 2015 के अधीन गठित एवं जिम्मेदार बाल कल्याण समिति को सौंपने की कार्यवाही करेगी ।

- चाइल्ड वेलफेयर कमीटी (सी.डब्ल्यू.सी) बच्चे की देख–रेख एवं संरक्षण जांच एवं विचारण/निस्तारण के दौरान सबलता के लिए किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है ।
- सी.डब्ल्यू सी. किसी भी बच्चे को ऐसे किसी स्थान पर रुकने से शारीरिक शोषण का खतरा हो तो उसे माता–पिता या अभिभावक के साथ जाने की इजाजत दे सकता है।
- जांच के लिए नियुक्त किये गए अधिकारी को सहायता करना, या नियुक्त व्यक्ति की अनुपलब्धता की स्थिति में अपराध का मौका–मुयायना और आव्यश्यक कार्यवाही करना।
- बच्चों से सम्बंधित अपराधों में न तो बच्चे को हिरासत में लिया जाना और न ही उन्हें हथकड़ी लगाई जानी चाहिए।
- देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के प्रकरण में बच्चों को सहज महसूस करवाने के लिए पुलिस अधिकारी हमेशा सिविल ड्रेस में होना चाहिए।
- देखरेख की आवश्यकता वाले बच्चे की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाना।
- ऐसा बच्चा जो माता–पिता के संरक्षण से वंचित है अथवा ऐसे स्थान पर रह रहा है जहां पूरी संभावना है कि उसका शारीरिक शोषण होगा, तो बच्चे को 24 घंटे के भीतर सी.डब्ल्यू. सी के समक्ष प्रस्तुत करना ।
- बच्चे को चिकित्सीय/स्वास्थ्य परिक्षण के लिए राजकीय चिकित्सालय, राजकीय चिकित्सालय के चिकित्सक की अनुपस्थिति में रजिस्टर्ड निजी चिकित्सक के पास ले जाना।
- यदि पीड़ित लड़की है तो ऐसी बच्ची का चिकित्सीय/ स्वास्थ्य परिक्षण माता–पिता अथवा ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में करवाया जाना चाहिए जिस पर पीड़ित को विश्वास हो।
- किसी बच्ची/लड़की के केस में महिला पुलिस अधिकारी को किसी महिला सामजिक कार्यकर्ता/ अध्यापक/ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/ ए.एन.एम / बच्ची की सहेली प्रकरण के निपटारे के समय साथ होने चाहिए।
- मामले की प्रगति रिपोर्ट, प्रक्रिया की बच्चे के माता–पिता, अभिभावक एवं अन्य समर्थकारी संस्था को सूचना देना।

- दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति निकट के पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा सकता है ।

यदि घरेलु हिंसा की कोई सूचना किसी पुलिस अधिकारी या संरक्षण अधिकारी या मजिस्ट्रेट को दी गयी है तो उनके द्वारा पीड़िता को जानकारी देनी होगी कि :

- उसे संरक्षण पाने का
- सेवा प्रदाता की सेवा पाने का
- संरक्षण अधिकारी की सेवा की उपलब्धता
- मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त करने का
- परिवाद–पात्र दाखिल करने का अधिकार प्राप्त है। संज्ञेय अपराध के लिए पुलिस को कार्यवाई करने से यह प्रावधान नहीं रोक सकता।
- अपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 में महिला अपराध की सुनवाई बंद करने तथा कार्यवाही की वीडियोग्राफी करने का भी प्रावधान किया गया है। इस कानून में महिलाओं के विरुद्ध अपराध की एफआईआर दर्ज नहीं करने वाले पुलिस कर्मियों को दण्डित करने का भी प्रावधान है।
- अगर कोई पीड़ित महिला पुलिस के पास आती है, तो पुलिस को उसके साथ सहजता, संवेदनशीलता एवं गंभीरता से बात–व्यवहार करना चाहिए।
- महिला सम्बंधित अपराध की स्थिति में केवल महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही महिला को गिरफ्तार किया जा सकता है ।
- बलात्कार के प्रकरणों में अन्वेषण दल मे महिला पुलिस अधिकारी/कर्मचारी को सम्मिलित किया जाकर विशेषकर पीडिता के बयान इनके द्वारा लेखबद्व किया जावे। पीडिता के बयान उसके निवास पर या उसके इच्छित स्थान पर लिया जावे।
- महिला परिवादी व गवाहान् को यथासंभव थाने पर नहीं बुलाया जावे और सूर्यास्त के पश्चात् व सूर्योदय के पूर्व किसी भी परिस्थिति में इन्हें थाने पर नहीं बुलाया जावे।
- महिला सम्बंधित अपराध की स्थिति में बिना महिला पुलिस कांस्टेबल की उपस्थिति में, किसी भी महिला को शाम 6 बजे के बाद एवं सुबह 6 बजे से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।
- महिला अपराध होने की स्थिति में, उसकी शिकायत महिला थाने में दर्ज की जानी चाहिए।

- महिला अपराध होने की स्थिति में महिला देश के किसी भी थाने में शिकायत दर्ज करा सकती है।

बच्चों से सम्बंधित अपराधों में दिए गए उच्च एवं सर्वोच्च्य न्यायालय द्वारा कुछ महत्तवपूर्ण आदेशों की झलकियॉ :

यूनियन ऑफ इंडिया बनाम इंडिपेंडेंट थॉट, 11 अक्टूबर, 2017 में सर्वोच्चय अदालत के एक फैसले के अनुसार किसी भी व्यक्ति द्वारा, किसी भी महिला के साथ उसकी मर्जी हो या न हो, शारीरिक सम्बन्ध स्थापित किया जाता है (चाहे वह उसकी पत्नी ही क्यों न हो) जो 18 वर्ष से कम है, चाहे वो विवाहिता हो या अविवाहिता, उसे बलात्कार माना जायेगा।

बचपन बचाओ आन्दोलन की एक याचिका पर सर्वोच्च्य न्यायलय ने एक महत्तवपूर्ण फैसले में सभी राज्य सरकारों एवं केंद्र को आदेश दिया है कि गुमशुदगी के मामले को संभावित अपराध मानते हुए प्राथमिकी दर्ज की जाए ।

बच्चों की गुमशुदगी के मामले में अब तक कोई कानून नहीं था, किन्तु न्यायलय ने गुमशुदगी को परिभाषित करते हुए इसे रोकने के लिए कठोर कदम उठाने के आदेश दिए हैं ।इसी प्रकार अपराधिक न्याय कानून में किये गए संशोधन में न केवल बाल तस्करी को परिभाषित किया गया, बल्कि इस अपराध के लिए कठोर दंड के प्रावधान भी शामिल किये गए ।इससे पूर्व बाल यौन अपराध रोकथाम के लिए कानून बनाया गया, जिसके तहत बच्चों के साथ होने वाले सभी अपराधों के लिए कठोर सजा के प्रावधान रखे गए हैं।

विद्यालयों में बालकों के साथ होने वाले कुछ हिंसा एवं दुर्वयाहरः

बच्चों के साथ दुर्वयाहार और हिंसा के मुद्दे हमारे आसपास मौजूद हैं, और अक्सर ऐसे स्थानों में देखे जा सकते हैं जो बच्चों के लिए सुरक्षित माने जाते हैं जैसे कि दृ स्कूलों, घरों, रिश्तेदारों या आवासीय संस्थानों में ।वर्तमान स्थिति में स्कूलों में बच्चों के प्रति हिंसा बढती ही जा रही है । आये दिन स्कूलों में बच्चों के साथ घटित होने वाली घटनाओं से सम्बंधित खबरें सुनने अथवा देखने को मिलती हैं ।स्कूलों में बच्चों के साथ कुछ निम्नलिखित हिंसा संभावित हैं जिनके कुछ रूप हमें व्यापक मीडिया कवरेज में भी मिलते हैं, जैसे

- रैगिंग / छेड़खानी
- स्वच्छता एवं स्वास्थ्य सम्बंधित मुद्दों के प्रति अनभिज्ञता / ध्यान न देना
- विद्यालय का बुनियादी ढांचा बच्चों के अनुकूल न होना
- भेदभाव (जाति, आर्थिक, रंग, वर्ग आदि के आधार पर)
- दुर्व्यवहार (शोषण / हिंसा)

- बच्चों को सजा
- शिक्षण में लापरवाही
- बच्चों से सम्बंधित प्रक्रियाओं में बच्चों की भागीदारी न होना
- बाल संरक्षण हेतु जारी राजकीय दिशा निर्देशों का पालन न होना/ अनदेखी
- अभिभावकों की भागीदारी सतही तौर पर होना। बच्चों के हितों से जुड़े मुद्दों के निर्णय में उनकी भागीदारी न होना।

बच्चों एवं महिलाओं के साथ में होने वाले ज्यादातर अपराध घर, आस–पास, सार्वजनिक स्थलों या स्कूलों में होते हैं ।ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि सामुदायिक स्तर पर बाल एवं महिला संरक्षण विषय पर जागरूकता को बढ़ावा मिले । फलस्वरूप समुदाय ऐसे तत्त्वों पर कड़ी निगाह रख सके एवं इस दिशा में पुलिस का योगदान आवश्यक है । बाल एवं महिला संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान पुलिस लगातार प्रयासरत है और अपनी दक्षता को निखारकर बेहद ही संवेदनशील तरीके से बच्चों एवं महिलाओं के लिए एवं उनके साथ सदैव कार्यरत है।

ये हुई, बाल एवं महिला संरक्षण से सम्बंधित कुछ जानकारियाँ, परन्तु केवल जानकारियाँ ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि जानकारियों के क्रियान्वयन के लिए, समुचित योजना और व्यापक समझ एवं जन सहभागिता भी आवश्यक है ।कोई भी जानकारी तब तक असरदार नहीं होती, जब तक उसे उपयोग में न लाया जाए और उन्हें उपयोग में लाने से पहले उसे सही प्रकार से समझ न ली जाए ।अगर हमें बच्चों एवं महिलाओं के लिए भय–मुक्त, सुरक्षित एवं मैत्री–पूर्ण वातावरण का निर्माण करना है तो हम सबको साथ मिलकर इसके प्रति खुद भी ध्यान देना पड़ेगा तथा दूसरों को भी जागरूक करना पड़ेगा ।

इसी विषय को ध्यान में रखते हुए, नीचे कुछ प्रश्न नमूने के तौर पर दिए गए हैं, जिनका उत्तर देकर हम बच्चों एवं महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं ।

rajasthan रिजल्ट

Join Telegram Channel